न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 123/2020
3. उनवान : सरकार जरिये राजेश कुमार टांक प्रवर्तन निरीक्षक
   बनाम
   चाट भण्डार आगरा, रेल्वे स्टेशन जयपुर मालिक श्री लखन श्रीवास्तव पुत्र श्री मोहन लाल श्रीवास्तव, मजदूर नगर, अजमेर रोड, जयपुर।
4. निर्णय दिनांक : 14.09.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी श्री राजेश कुमार टांक, प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 18.02.2020 को सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद की जांच के दौरान रेल्वे स्टेशन, जयपुर पर चाट भण्डार आगरा (ठेला) पर श्री लखन श्रीवास्तव पुत्र श्री मोहन लाल श्रीवास्तव से एक आईओसी का घरेलु गैस सिलेण्डर मय 2.800 किलोग्राम एलपीजी जब्त किया गया। अप्रार्थी द्वारा उक्त के सन्दर्भ में कोई सन्तोषप्रद जवाब एवं वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा. आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया है। अप्रार्थी द्वारा लम्बे समय तक जवाब पेश ना करने की स्थिति में जवाब बन्द किया गया तथा दिनांक 08.07.2022 को पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार अप्रार्थी को आवाज लगवाई गयी। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त वस्तुओं को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 14.09.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अप्रार्थी के पास जब्त वस्तुओं की वैधता के संबंध में कोई साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं है तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। अप्रार्थी द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व दुरूपयोग कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा जब्त 01 आईओसी का घरेलु गैस सिलेण्डर मय 2.800 किलोग्राम एलपीजी को को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर, ग्रामीण को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर